अपील क्रमांक 222/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक /05/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 222/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
सुश्री मीना पाण्डे नं.–229–230, फर्स्ट फ्लोर, चौहान प्लाजा, शास्त्री नगर, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन को. 490023 मो. 9770311808	**विरूद्ध**	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 02.05.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी सुश्री मीना पाण्डे द्वारा दि. 03.04.2025 का आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 21.04.2025 को प्राप्त प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 06.05.2025 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थीं।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदिका/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 1. Details of the rules regarding Sub-Letting of work. 2. Details of the each work-project where sub-letting is allowed to the construction company, for the period 2013-14 to 2023-24 इन दो बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 20.12.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु क्र. 2 की जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो कि इस कार्यालय में दिनांक 21.04.2025 को प्राप्त हुआ। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 06.05.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 06.05.2025 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण, प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा उनके आवेदन के बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी नहीं दिये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है।

.....2

4. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 06.05.2025 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदिका/अपीलार्थी का आवेदन पत्र आवक क्र. 613, दिनांक 30.12.2024 को प्राप्त हुआ। आवेदिका द्वारा वांछित जानकारी हेतु नस्ती निविदा कक्ष को दिनांक 31.12.2024 को प्रेषित की गयी। नस्ती जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 06.01.2025 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि आवेदिका द्वारा 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गयी है, जिसमें बिन्दु क्रं. 1 की जानकारी 2 पृष्ठों की है तथा बिन्दु क्रं. 2 की जानकारी इस कार्यालय के संरचनाधीन कार्यालयों में संधारित की जाती है। उक्त टीप के आधार पर अपीलार्थी को 2×2=04 रू. एवं पंजीकृत डाक शुल्क 42/– रू. मंगाने तथा बिन्दु क्रं. 2 के लिए समस्त मुख्य अभियंताओं/मैदानी कार्यालयों को पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/277/छ.ग./24/323, दिनांक 07.01.2025 को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया गया। तत्पश्चात् आवेदिका/अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 07.03.2025 को राशि रू. 42.00 (रू. बयालीस) चालान के माध्यम से जमा करने पर उन्हें इस कार्यालय के पत्र क्र. 4112275/277/छ.ग./2024/2369, दिनांक 12.03.2025 को बिन्दु क्रं. 1 की वांछित जानकारी दी जा चुकी है।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। जनसूचना अधिकारी ने आवेदिका का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 30.12.2024 को प्रस्तुत के संबंध में उनके पत्र दिनांक 07.01.2025 (आवेदन प्राप्ति से 9 दिनों में) द्वारा बिन्दु क्र. 1 हेतु दस्तावेज शुल्क जमा किये जाने तथा बिन्दु क्र. 2 की जानकारी हेतु मुख्य अभियंताओं को पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी थी। आवेदिका द्वारा 2 माह पश्चात् दि. 07.03.2025 को शुल्क जमा किये जाने पर, जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 12.03.2025 को (शुल्क प्राप्ति से 6 दिनों में) आवेदिका को जानकारी प्रेषित की। इस प्रकार आवेदन का निराकरण कुल 9 दिन + 6 दिन अर्थात् 15 दिनों में किया गया, जो कि अधिनियम में निर्धारित 30 दिनों की समयसीमा के अंतर्गत है। परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि जनसूचना अधिकारी ने उन्हें प्राप्त दस्तावेज शुल्क का परीक्षण किये बिना ही आवेदिका को जानकारी उपलब्ध करायी है। जनसूचना अधिकारी ने दिनांक 07.01.2025 को दस्तावेज शुल्क 4.00 रूपये जमा किये जाने के साथ ही पंजीकृत डाक से जानकारी हेतु पृथक से 42.00 रूपये जमा करने पत्र में लेख किया था, इस प्रकार कुल 46 रूपये जमा किया जाना चाहिये था। आवेदिका द्वारा मात्र 42.00 रूपये का चालान प्रस्तुत किये जाने पर अर्थात् मात्र पंजीकृत डाक शुल्क जमा किये जाने पर ही जानकारी दी गयी। भविष्य में जनसूचना अधिकारी को शुल्क का परीक्षण सूक्ष्मता से किये जाने की सलाह दी जाती है।

7. अपील के निराकरण हेतु इस तथ्य पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदिका के आवेदन में बिन्दु क्रमांक 2 में वांछित जानकारी हेतु पृथक–पृथक कार्यालय में आवदेन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने दी गयी सलाह अधिनियम 2005 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुरूप है? आवेदिका ने अपने आवेदन के बिन्दु क्रमांक 2 में "Details of the each work-project where sub-letting is allowed to the construction company, for the period 2013-14 to 2023-24" से संबंधित दस्तावेज की मांग की थी। आवेदन में वर्ष 2013–14 से 2023–24 तक के अर्थात् 11 वर्षों में कंस्ट्रक्शन कंपनी को सबलेट कार्यों के संबंध में जानकारी चाही गयी है।

.....3

आवेदन में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी उल्लेख भी नहीं है, जिससे संबंधित जानकारी चाही गयी है। इस स्थिति में वांछित जानकारी विस्तृत स्वरूप की एवं अस्पष्ट है। इस कार्यालय के निविदा प्रकोष्ठ द्वारा स्पष्ट किया गया कि वांछित जानकारी संरचनाधीन कार्यालयों में संधारित की जाती है। इनसे संबंधित दस्तावेज इनके लोक प्राधिकारी के अंतर्गत विभिन्न मुख्य अभियंता कार्यालय में उपलब्ध होंगे, अर्थात पृथक–पृथक जनसूचना अधिकारियों से संबंधित जानकारी की मांग आवेदिका द्वारा की गयी है। तत्संबंध में भारत सरकार नार्थ ब्लाक नई दिल्ली के मार्गदर्शी परपित्र क्रं. सं. 10/2/2008–आई.आर. नई दिल्ली दिनांक 12.06.2008 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से संबंद्ध सूचना मांगी गयी हो, के माध्यम से जारी मार्गदर्शन की कंडिका 3 (iii) का उद्धरण निम्नानुसार है :–

3 (iii) कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है। ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकारियों को अलग–अलग आवेदन करे। यदि मांगी गई सूचना का कोई हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के अलग–अलग हिस्से एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन दें। स्मरणीय है कि अधिनियम के अंतर्गत वही सूचना देना अपेक्षित है, जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग–अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना सृजन माना जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलो में सूचना का संबंध किसी 'लोक प्राधिकरण विशेष' से नही होता, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किए जाने का मामला नहीं बनता है। **यह बात ध्यान देने योग्य है कि उप–धारा (3) में 'दूसरे लोक प्राधिकरण' का संदर्भ एकवचन में है न कि बहुवचन में।**

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी कार्यालय से संबंधित न होकर कई अन्य जनसूचना अधिकारियों से संबंधित है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार नार्थ ब्लाक नई दिल्ली के मार्गदर्शी परपित्र क्रं. सं. 10/2/2008–आई.आर. नई दिल्ली दिनांक 12.06.2008 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका अनुसार जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रं. 4112275/277/छ.ग./24/323, दिनांक 07.01.2025 द्वारा वांछित जानकारी हेतु मैदानी कार्यालयों को पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवेदिका/अपीलार्थी को दी गयी सलाह, अधिनियम 2005 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुरूप है।

.....4

8. **अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर, प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय दिया जाता हैः—**

उत्तरवादी पक्ष अर्थात जन सूचना अधिकारी द्वारा, अपीलार्थी के आवेदन में बिन्दु क्रमांक 2 के संबंध में वांछित जानकारी हेतु संबंधित मुख्य अभियंता कार्यालयों में पृथक—पृथक आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने की सलाह दिया जाना, अधिनियम 2005 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुरूप है।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर—19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(आलोक कुमार अग्रवाल)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रं./222/बो.प्र./नि.स./2025/4114 **नवा रायपुर, दिनांक 09 /5/2025**

प्रतिलिपिः—

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI Section) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सुश्री मीना पाण्डे, नं.—229—230, फर्स्ट फ्लोर, चौहान प्लाजा, शास्त्री नगर, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन को. 490023 मो. 9770311808 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)